93

न्यायालय श्रीमान् बोर्ड आफ रेवेन्यू, ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

R. 5025-पी/15

Rs. 20/-

379
3.9.15

रामदास द्विवेदी तनय स्व0 देवशरण द्विवेदी उम्र 45 वर्ष, पेशा नौकरी
ग्राम लोही, तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 --- निगरानीकर्ता

बनाम

मोहन लाल दुबे तनय स्व0 राम सुन्दर दुबे उम्र 64 वर्ष, पेशा खेती,
निवासी ग्राम लोही, तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 — गैर निगरानीकर्ता

अभिभाषक ... द्वारा ... 03.9.15 प्रस्तुत किया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व
निरीक्षक रीवा के रा0 प्र0क्र0 150 अ 12/
14-15 मे पारित आदेश दि० 18-6-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0सं0
1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यहकि गैर निगरानीकर्ता ने राजस्व निरीक्षक के समक्ष आ0 नं0 550 का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र दिया जिसमे निगरानीकर्ता को न तो पक्षकार बनाया ना ही सीमांकन की कोई जानकारी हो पायी। और बिना मौके मे नाप कराये मनमानी रूप से प्रतिवेदन, फील्डबुक व पंचनामा बनवा कर दि0 18-6-2015 को पुष्टि कर दिया। जो अवैधानिक होने से एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

2:- यहकि आ0 नं0 550 अर्थात् की सीमांकन की गयी आ0 के पश्चिम तरफ निगरानीकर्ता की आ0 स्थित है जिसमे निगरानीकर्ता का पुश्तैनी मकान, बोर, कुआं, व गृहस्थी संबंधी निस्तार है। इस तरह से निगरानीकर्ता सरहद्दी काश्तकार है इस कारण बिना निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाये सीमांकन आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

क्रमशः 2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निग./5025/दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.05.18	आवेदक अधिवक्ता श्री शशिकलाधर अग्निहोत्री उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक रीवा (गिर्द) म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 150/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.06.15 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में सलंग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मोहन लाला द्विवे द्वारा आराजी न. 550 के सीमांकन संबंधी आवेदन दिया तथा पटवारी हल्का जौहरी 33 द्वारा सरहद्दी कास्तकारों को दिनांक 13.06.15 को सूचना पत्र जारी कर सर्वसाधारण को सीमांकन दिनांक 15.06.15 की सूचना दी स्थल पंचनामा तैयार किया गया जिसमें सरहद्दी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं। पटवारी हल्का जौहरी 33 द्वारा राजस्व निरीक्षक रीवा गिर्द तहसील हुजुर जिला रीवा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा खसरा न. 550 रकबा 0.450 है0 के सीमांकन की पुष्टि की कोई आपत्ति न आने पर दिनांक 18. 06.15 आदेश पारित किया। राजस्व निरीक्षक द्वारा धारा 129 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है। इसमें किसी प्रकार के त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। 3– प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित खसरा आदि की प्रतिलिपि	

प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रतीत हो कि यह सरहद्दी कास्तकार है। आवेदक चाहे तो वह अपना सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक रीवा (गिर्द) म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 150/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.06.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य